संख्या-74/105/1059/एक-6-2015-135(5)/2014

प्रेषक,

राम नारायण,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 07 सितम्बर, 2015

विषय: राजस्व परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्र संख्या-227/ए0सी0सी0-211, दिनांक 20-08-2015 एवं पत्र संख्या-जी-15/6-नजारत-347/2012-13, दिनांक 25-08-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- उक्त के क्रम में श्री हर्षपाल सिंह व 12 अन्य के पत्र दिनांक 21-08-2015 की संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्नकर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण का वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54(एम)/2008, दिनांक 13 अगस्त, 2015 वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2 व अन्य सुसंगत नियमों के आलोक में परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे, और यदि किसी बिन्दु पर शासन के मार्ग दर्शन की आवश्यकता हो तो उस बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उस बिन्दु पर अपने स्पष्ट अभिमत व सुसंगत अभिलेख के साथ प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in